कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक 2010 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–25/02/2017.

सेवा में,

संयुक्त अध्यक्ष,
मैं0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0,
सेक्टर 28, नोएडा।

विषयः– मैं0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

सन्दर्भः– प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक–11.01.2017 को हार्ड कापी में प्राप्त कराया गया प्रस्ताव।

महोदय,

अवगत कराना है कि आप द्वारा विषयक प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक–11.01.2017 को हार्ड कापी में इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया है। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रेषित चेक लिस्ट से परीक्षणोपरान्त, आप द्वारा प्राप्त कराया गया प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयीः–

1. प्रस्ताव के साथ याचक विभाग तथा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र जिसमें परियोजना में दर्शित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा आवेदित वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का स्पष्ट उल्लेख हो, संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव के साथ लीज पर दी जाने वाली वन भूमि का प्रीमियम या लीजरेन्ट का निर्धारण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत सर्किल रेट की प्रति, संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि की प्रीमियम एवं लीज रेन्ट उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता एजंसी की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध करने की वचनबद्ध, संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव के साथ परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश, संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या का प्रजातिवार एवं व्यासश्रेणीवार विवरण, संलग्न नहीं है।
7. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित निर्माण कार्य से लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों एवं जनसंख्या का विवरण, संलग्न नहीं है।
8. प्रस्ताव के साथ परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरर्णीय स्वीकृति, संलग्न नहीं है।
9. प्रस्ताव के साथ परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन, संलग्न नहीं है।
10. प्रस्ताव के साथ परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का मानचित्र व उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र, संलग्न नहीं है।
11. प्रस्ताव के साथ परियोजना से सम्बन्धित मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की संस्तुति रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
12. भारत सरकार के पत्रांक–एफ नं0–11–9/1998–एफसी (पीटी), दिनांक 03.08.2009 में एफ0आर0ए0 2006 के अन्तर्गत दियें गये निर्देषों के अनुरूप सम्बन्धित ग्राम सभाओं से प्रस्ताव पारित कराकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जिलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र, संलग्न नहीं है।

उक्त के क्रम में आप द्वारा विषयक प्रकरण से सम्बन्धित प्राप्त कराया गया प्रस्ताव की छः प्रति मूल में इस आशय से वापस किया जा रहा है कि आप उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रस्ताव की छः प्रति में इस कार्यालय में उपलब्ध करानें का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(अमर बहादुर)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।